राजस्थान सरकार
हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान
H.C.M Rajasthan State Institute of Public Administration
Jawahar Lal Nehru Marg, Jaipur – 302017 Rajasthan India

क्रमांक :– एफ9( )/अ.शा./रीपा/कमरा किराया/2009–10/ 2475 दिनांक :–02/05/2022

कार्यालय आदेश

निर्देशानुसार संस्थान द्वारा पूर्व में जारी आदेश कमांक 14428 दिनांक 29.01.2010 को अतिकमण करते हुए में रीपा परिसर में निर्मित सुविधाओं की दरें निम्नानुसार किराया राशि वसूल की जाने एवं शर्ते तुरन्त प्रभाव से निम्न प्रकार निश्चित की जाती है। उक्त दरें यह आदेश जारी होने के पश्चात् जो आरक्षण किया जावेगा उस पर लागू होगी।

क्र. सं	स्थान का नाम	राज्य सरकार के विभागों के लिए दरें (प्रतिकक्ष)	केन्द्रीय सरकार के विभागों के लिए दरें (प्रतिकक्ष)	राज्य/केन्द्रीय सरकार के अर्द्धसरकारी संगठनों/निगमों/ /मण्डलों की दरें	अलाभकारी संगठन/गैर सरकारी/निजी संस्थानों की दरें
1	भगवत सिंह मेहता सभागार (नेहरू भवन) प्रति 04 घण्टे हेतु	13,000/–	21,000/–	30,000/–	35,000/–
2	कॉन्फ्रेन्स हॉल (पटेल भवन) प्रति 08 घण्टे हेतु	13,000/–	18,000/–	25,000/–	30,000/–
3	नेहरू भवन के कमरा संख्या 104, 108, 114, 212, 215, 216, 217 (वीसी रूम), प्रतिदिन	5,000/–	6000/–	8,000/–	10,000/–
4	पटेल भवन का कमरा संख्या 17, 18, 27, 34 प्रतिदिन	8,000/–	10,000/–	10,000/–	12,000/–
5	सिन्डीकेट रूम (109) प्रतिदिन	600/–	1,000/–	1,100/–	1,200/–
6	नवीन एक्जीक्यूटिव हॉस्टल कॉन्फ्रेन्स हॉल एवं लेक्चर हॉल (प्रति 08 घण्टे हेतु)	15,000/–	20,000/–	25,000/–	30,000/–
7	नवीन एक्जीक्यूटिव हॉस्टल (भूतल) कक्षाकक्ष–I एवं कक्षाकक्ष–II (प्रति 08 घण्टे हेतु)	9,000/–	10,000/–	12,000/–	14,000/–

आवंटन से संबंधित शर्ते:–

1. राशि महानिदेशक/निदेशक, हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान के नाम से कैशीयर, रीपा को जमा करवानी होगी।
2. भगवत सिंह मेहता सभागार/गेस्ट हाउस/कॉटेज के समीप स्थित लॉन को चाय/नास्ते में उपयोग हेतु किराये पर लेने पर 3000/– अतिरिक्त चार्ज किए जावेंगे।
3. संस्थान के महानिदेशक/निदेशक महोदय के द्वारा अनुमोदन होने के पश्चात् आरक्षण अनुमति की स्थिति में किराये की राशि कैशीयर, रीपा को जमा करवाने पर ही स्थान आरक्षित समझा जावेगा।
4. पक्के स्थान तथा डामर की सड़कों पर किसी प्रकार के खड्डे आदि नहीं खोदे जाएं तथा आसपास कहीं भी गन्दगी आदि नहीं छोड़ी जायेगी।
5. सभागार में प्रोजेक्टर, स्क्रीन, व्हाइट बोर्ड, पोडियम माईक उपकरण लगे हुए है। इसके अतिरिक्त यदि कोई उपकरण की आवश्यकता होती है तो सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वयं के स्तर पर व्यवस्था की जावेगी।
6. संस्थान में किसी भी स्थान/दीवार/पेड़–पौधों/रेलिंग आदि पर बैनर/पोस्टर, एवं स्टीकर आदि लगाने की अनुमति नहीं है।

Phone: 0141-2706556, 2715222 Fax: 0141-2705420
Email: hcmripa@rajasthan.gov.in Website: www.hcmripa.rajasthan.gov.in

7. हॉल में लगे इलेक्ट्रॉनिक/ऑडियोविजुअल उपकरणों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करें अन्यथा कोई नुकसान होने पर उसकी भरपाई संबंधित विभाग से की जावेगी।
8. कॉन्फ्रेंस हॉल/सभागार में खाना/नाश्ता नहीं दिया जावेगा। इस हेतु हॉल के बाहर व्यवस्था की जावे।
9. बुकिंग के दौरान प्लास्टिक का प्रयोग निषेध है।
10. कोविड–19 हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार की गाईडलाईन की अनुपालना सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संबंधित उपयोगकर्ता की होगी।

(विष्णु कुमार गोयल)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

क्रमांक :– एफ9( )/अ.शा./रीपा/कमरा किराया/2009–10/2476-90 दिनांक :- 02/05/2022

1. निजी सचिव, महानिदेशक, एच.सी.एम.रीपा, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त महानिदेशक, एच.सी.एम.रीपा, जयपुर।
3. अतिरिक्त निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), एच.सी.एम.रीपा, जयपुर।
4. अतिरिक्त निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक (लेखा), एच.सी.एम.रीपा, जयपुर।
5. अतिरिक्त निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक (डीम्स), एच.सी.एम.रीपा, जयपुर।
6. पंजीयक, प्रबन्ध अध्ययन केन्द्र, एच.सी.एम.रीपा, जयपुर।
7. समन्वयक, सी.जी.जी., एच.सी.एम.रीपा, जयपुर।
8. उप निदेशक (प्रशासन) एवं कार्यालयाध्यक्ष, एच.सी.एम.रीपा, जयपुर।
9. प्रभारी अधिकारी (परिसर), एच.सी.एम.रीपा, जयपुर।
10. प्रभारी अधिकारी (योजना), एच.सी.एम.रीपा, जयपुर।
11. प्रबन्धक, विश्रान्ति, एच.सी.एम.रीपा, जयपुर।
12. लेखा शाखा, एच.सी.एम.रीपा, जयपुर।
13. संस्थापन शाखा, एच.सी.एम.रीपा, जयपुर।
14. केयरटेकर, रीपा, एच.सी.एम.रीपा, जयपुर।
15. रक्षित पत्रावली।

प्रभारी अधिकारी (परिसर)

राजस्थान सरकार
हरिशचन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान
H.C.M Rajasthan State Institute of Public Administration
Jawahar Lal Nehru Marg, Jaipur – 302017 Rajasthan India

क्रमांक :– एफ9( )/अ.शा./रीपा/कमरा किराया/2009–10/2456 दिनांक :– 02/05/2022

कार्यालय आदेश

निर्देशानुसार संस्थान द्वारा पूर्व में जारी आदेश क्रमांक 10657–64 दिनांक 27.11.2012 को अतिक्रमण करते हुए मैं रीपा परिसर में निर्मित सामुदायिक केन्द्र एवं विश्रान्ति एवं कॉटेज कॉम्पलेक्स की दरें निम्नानुसार किराया राशि वसूल की जाने एवं शर्ते तुरन्त प्रभाव से निम्न प्रकार निश्चित की जाती है। उक्त दरें यह आदेश जारी होने के पश्चात् जो आरक्षण किया जावेगा उस पर लागू होगी।

क्र. सं	विवरण	सामुदायिक केन्द्र (राशि रू में)	विश्रान्ति एवं कॉटेज कॉम्पलेक्स	
			कॉटेज सूईट	कॉटेज डुप्लेक्स
1	संस्थान में वर्तमान में कार्यरत तथा संस्थान से सेवानिवृत या पूर्व पदस्थापित कर्मचारीगण/अधिकारीगण	6000/–	Covered in "C"	Covered in "C"
2	(अ) राजस्थान सरकार की सेवा में कार्यरत अथवा सेवानिवृत अधिकारीगण या कर्मचारी (ब) राजस्थान संवर्ग के अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारीगण (स) राजस्थान के पूर्व अथवा वर्तमान सांसद (द) राजस्थान विधानसभा के पूर्व या वर्तमान सदस्यगण (य) राजस्थान उच्च न्यायालय के अधीन कार्यरत न्यायिक अधिकारीगण या कर्मचारीगण	20,000/–	1,200/–	1,000/–
3	(अ) राजस्थान संवर्ग के अतिरिक्त अन्य संवर्गों के अखिल भारतीय सेवाओं के वर्तमान अथवा पूर्व अधिकारीगण (ब) केन्द्रीय सेवाओं के वर्तमान अथवा पूर्व अधिकारीगण (स) केन्द्र अथवा राजस्थान राज्य के उपक्रमों/विश्वविद्यालयों के पूर्व अथवा वर्तमान अधिकारीगण	30,000/–	1,500/–	1200/–
4	उपरोक्त श्रेणियों में से किसी में भी न आने वाले व्यक्ति	50,000/–	5,000/–	4,000/–

आवंटन से संबंधित शर्तें :–

1. संस्थान के महानिदेशक/निदेशक महोदय के द्वारा अनुमोदन होने के पश्चात् आरक्षण अनुमति की स्थिति में किराये की राशि कैशीयर, रीपा को जमा करवाने पर ही स्थान आरक्षित समझा जावेगा।
2. कक्ष में उपलब्ध सामग्री के अतिरिक्त कोई अन्य सुविधा (Extra Bedding etc.) नहीं दी जावेगी।
3. रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक ध्वनि प्रसारण यंत्रों का उपयोग निषेद्ध रहेगा।
4. बिजली उपभोग की राशि हेतु 3000/– रू. अग्रिम जमा कराने होंगे तथा कार्यक्रम पश्चात् अतिरिक्त यूनिट का 10/– रु. प्रतियूनिट की दर से भुगतान जमा करवाया जावेगा।
5. गैस भट्टी आदि लगाने, बर्तन साफ करने का स्थान संस्थान द्वारा निर्धारित किया हुआ है। अतः उक्त कार्य निर्धारित स्थान पर किया जावे।
6. पक्के स्थान तथा डामर की सड़कों पर किसी प्रकार के खड्डे आदि नहीं खोदे जायें तथा आसपास कहीं भी गन्दगी आदि नहीं छोड़ी जायेगी।
7. उद्यान जिस दिन उपयोग में लेने की स्वीकृति दी गई है, मात्र उसी दिन टेन्ट आदि लगाने दिया जावेगा तथा समारोह के दूसरे दिन आवश्यक रूप से 12.00 बजे तक टेन्ट का सामान हटवाना होगा।

Phone: 0141-2706556, 2715222 Fax: 0141-2705420
Email: hcmripa@rajasthan.gov.in Website: www.hcmripa.rajasthan.gov.in

8. परिसर स्थित आवासों के विवाह एवं अन्य सामाजिक समारोह हेतु आवंटन की अवधि अधिकतम 10 दिवस होगी।

(विष्णु कुमार गोयल)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

क्रमांक :– एफ9( )/अ.शा./रीपा/कमरा किराया/2009–10/2457–71 दिनांक :– 02/05/2021

1. निजी सचिव, महानिदेशक, एच.सी.एम.रीपा, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त महानिदेशक, एच.सी.एम.रीपा, जयपुर।
3. अतिरिक्त निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), एच.सी.एम.रीपा, जयपुर।
4. अतिरिक्त निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक (लेखा), एच.सी.एम.रीपा, जयपुर।
5. अतिरिक्त निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक (बीमा), एच.सी.एम.रीपा, जयपुर।
6. पंजीयक, प्रबन्ध अध्ययन केन्द्र, एच.सी.एम.रीपा, जयपुर।
7. समन्वयक, सी.जी.जी., एच.सी.एम.रीपा, जयपुर।
8. उप निदेशक (प्रशासन) एवं कार्यालयाध्यक्ष, एच.सी.एम.रीपा, जयपुर।
9. प्रभारी अधिकारी (परिसर), एच.सी.एम.रीपा, जयपुर।
10. प्रभारी अधिकारी (योजना), एच.सी.एम.रीपा, जयपुर।
11. प्रबन्धक, विश्रान्ति, एच.सी.एम.रीपा, जयपुर।
12. लेखा शाखा, एच.सी.एम.रीपा, जयपुर।
13. संस्थापन शाखा, एच.सी.एम.रीपा, जयपुर।
14. केयरटेकर, रीपा, एच.सी.एम.रीपा, जयपुर।
15. रक्षित पत्रावली।

प्रभारी अधिकारी (परिसर)

राजस्थान सरकार

हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान

H.C.M Rajasthan State Institute of Public Administration

Jawahar Lal Nehru Marg, Jaipur – 302017 Rajasthan India

क्रमांक :– एफ9( )/अ.शा./रीपा/कमरा किराया/2009–10/ २५२५ दिनांक :– 02/05/2022

कार्यालय आदेश

निर्देशानुसार संस्थान द्वारा पूर्व में जारी आदेश कमांक 212–26 दिनांक 05.05.2020 को अतिकमण करते हुए में रीपा परिसर में निर्मित विश्रान्ति, काटेज, गेस्ट हाउस एवं न्यू एक्जीक्यूटिव हॉस्टल की दरें निम्नानुसार किराया राशि वसूल की जाने एवं शर्ते तुरन्त प्रभाव से निम्न प्रकार निश्चित की जाती है। उक्त दरें यह आदेश जारी होने के पश्चात् जो आरक्षण किया जावेगा उस पर लागू होगी।

क्र.स.	कैटेगरी	विश्रान्ति	काटेज (डूप्लेक्स)	काटेज (सुईट)	गेस्ट हाउस	न्यू एक्जीक्यूटिव हॉस्टल
1.	State/subordinate service of FC, IC, probationers (Non AC per bed)	100/– रुपये	X	X	X	X
2.	State/subordinate service of FC, IC, probationers (AC per bed)	150/– रुपये	X	X	X	200/– रुपये
3.	IAS/IFS/IPS/IES probationers for FC, IC, (AC per bed)	200/– रुपये	250/– रुपये	300/– रुपये	X	300/– रुपये
4.	Officers on Training in RIPA course (Non AC per bed)	150/– रुपये	X	X	X	X
5.	Officers on Training in CMS/CRC/CGG course (Non AC per bed)	150/– रुपये	X	X	X	X
6.	Officers on Training in CMS/CRC/CGG course (Non AC per bed) Centeral Govt. Sponsed Course	200/– रुपये	X	X	X	X
7.	Officers on Training in RIPA course (AC per bed)	250/– रुपये	500/– रुपये	800/– रुपये	800/– रुपये	500/– रुपये
8.	Officers on Training in CMS/CRC/CGG course (AC per bed)	300/– रुपये	600/– रुपये	800/– रुपये	1000/– रुपये	500/– रुपये
9.	State Government Officers on official duties (Non AC per bed)	250/– रुपये	X	X	X	X
10.	State Government Officers on official duties (AC per bed)	400/– रुपये	600/– रुपये	800/– रुपये	1000/– रुपये	1200/– रुपये
11.	State Government Officers on Private Visit (AC per bed)	600/– रुपये	1000/– रुपये	1200/– रुपये	1400/– रुपये	1500/– रुपये
12.	State Government Officers on Private Visit (Non AC per bed)	500/– रुपये	X	X	X	X
13.	Central Govt. & Other State Officers on Official Duties (AC/Non AC per bed)	1000/– रुपये	1100/– रुपये	1200/– रुपये	1500/– रुपये	1500/– रुपये
14.	Officers of the PSUs (AC per bed)	1200/– रुपये	1500/– रुपये	2200/– रुपये	2200/– रुपये	2200/– रुपये
15.	Officers of the PSUs on Official duties (Non AC per bed)	250/– रुपये	X	X	X	X

16.	Central Govt. Officer on on Private Visit (AC per bed)	1500 / — रुपये	2000 / — रुपये	3000 / — रुपये	2000 / — रुपये	2500 / — रुपये
17.	Central/State Govt. Officer on on Private Visit (AC per bed)	800 / — रुपये	X	X	X	X
18.	Private Person on Private Visit (Non AC per bed)	800 / — रुपये	X	X	X	X
19.	Private Person on Private Visit (AC per bed)	1500 / — रुपये	2500 / — रुपये	3500 / — रुपये	4000 / — रुपये	4200 / — रुपये
20.	संस्थान में वर्तमान में कार्यरत तथा संस्थान से सेवानिवृत या पूर्व पदस्थापित अधिकारीगण / कर्मचारीगण हेतु (प्रतिदिवस / प्रतिकक्ष)	200 / — रुपये	500 / — रुपये	800 / — रुपये	1,000 / — रुपये	700 / — रुपये

नोट :—

1. विश्रान्ति में कक्ष उपलब्ध नही होने की दशा में प्रशिक्षु अधिकारी को विश्रान्ति की दरों पर ही कॉटेज (डूप्लेक्स) / न्यू एक्जीक्यूटिव हॉस्टल में कक्ष आवंटित किये जायेगें। किन्तु विश्रान्ति मे कक्ष उपलब्ध होने के बावजूद ट्रेनी के आग्रह पर अन्यत्र आवास सुविधा उपलब्ध कराने पर दरें तदानुसार लागू होंगी।
2. कक्ष में उपलब्ध सामग्री के अतिरिक्त कोई अन्य सुविधा (Extra Bedding etc.) नही दी जावेगी।
3. क्रम सख्या 04 की श्रेणी में वर्णित प्रशिक्षण कार्यो के प्रशिक्षणार्थियों को विश्रान्ति मे कक्ष उपलब्ध नहीं होने की दशा में विश्रान्ति की दरों पर ही न्यू एक्जीक्यूटिव हॉस्टल मे कक्ष आवंटित किए जावेंगे।
4. क्रम सख्या 05 की श्रेणी में वर्णित अधिकारी / कर्मचारी द्वारा प्रथम कक्ष की बुकिंग पर सामान्य चार्ज वसूल किया जायेगा। द्वितीय कक्ष की बुकिंग करने पर बिन्दु संख्या 06 के अनुसार चार्ज वसूल किया जायेगा तथा दो से अधिक कक्ष की बुकिंग करवानें पर बिन्दु सख्या 07 के अनुसार चार्ज किया जायेगा।
5. माह अक्टूबर से जनवरी तक एफ.सी., आई. सी. के दौरान यदि कोई प्रशिक्षणार्थी ए.सी. कक्ष में ठहरता है तो उस प्रशिक्षु अधिकारी से नॉन ए.सी. का चार्ज लिया जायेगा।

(विष्णु कुमार गोयल)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

कमांक :— एफ9( ) / अ.शा. / रीपा / कमरा किराया / 2009—10 / 2425-39 दिनांक :— 02/05/2022

1. निजी सचिव, महानिदेशक, एच.सी.एम.रीपा, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त महानिदेशक, एच.सी.एम.रीपा, जयपुर।
3. अतिरिक्त निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), एच.सी.एम.रीपा, जयपुर।
4. अतिरिक्त निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक (लेखा), एच.सी.एम.रीपा, जयपुर।
5. अतिरिक्त निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक (बीमा), एच.सी.एम.रीपा, जयपुर।
6. पंजीयक, प्रबन्ध अध्ययन केन्द्र, एच.सी.एम.रीपा, जयपुर।
7. समन्वयक, सी.जी.जी., एच.सी.एम.रीपा, जयपुर।
8. उप निदेशक (प्रशासन) एवं कार्यालयाध्यक्ष, एच.सी.एम.रीपा, जयपुर।
9. प्रभारी अधिकारी (परिसर), एच.सी.एम.रीपा, जयपुर।
10. प्रभारी अधिकारी (योजना), एच.सी.एम.रीपा, जयपुर।
11. प्रबन्धक, विश्रान्ति, एच.सी.एम.रीपा, जयपुर।
12. लेखा शाखा, एच.सी.एम.रीपा, जयपुर।
13. संस्थापन शाखा, एच.सी.एम.रीपा, जयपुर।
14. केयरटेकर, रीपा, एच.सी.एम.रीपा, जयपुर।
15. रक्षित पत्रावली।

प्रभारी अधिकारी (परिसर)

राजस्थान सरकार
हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान
H.C.M Rajasthan State Institute of Public Administration
Jawahar Lal Nehru Marg, Jaipur – 302017 Rajasthan India

क्रमांक :– एफ9( )/अ.शा./रीपा/कमरा किराया/2009–10/2440 दिनांक :– 02/05/2022

कार्यालय आदेश

निर्देशानुसार संस्थान द्वारा पूर्व में जारी आदेश को अतिक्रमण करते हुए में रीपा परिसर में निर्मित स्क्वेश कोर्ट एवं अन्य समस्त खेलकूद का सदस्यता शुल्क मासिक/त्रैमासिक की दरें निम्नानुसार किराया राशि वसूल की जाने एवं शर्ते तुरन्त प्रभाव से निम्न प्रकार निश्चित की जाती है।

क्र. सं	श्रेणी	टेनिस (त्रैमासिक)	बेडमिन्टन (त्रैमासिक)	टेबिल टेनिस (त्रैमासिक)	जिमनेजियम (त्रैमासिक)	तरणताल (त्रैमासिक)	स्क्वेश कोर्ट (त्रैमासिक)
1	संस्थान में वर्तमान में कार्यरत तथा संस्थान से सेवानिवृत या पूर्व पदस्थापित कर्मचारीगण/अधिकारीगण तथा इनके परिवार के सदस्य/(पति/पत्नी तथा अवयस्क बच्चे सम्मिलित है)	800	800	500	1000	500	900
2	जयपुर में कार्यरत या सेवानिवृत भारत सरकार या राजस्थान सरकार या बोर्ड या निगम या राजकीय उपक्रम के अधिकारीगण तथा पूर्व प्रशिक्षणार्थी (एलूमनी)	1500	1500	900	3000	1800	1800
3	संस्थान के निर्देशन में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहें सभी प्रशिक्षणार्थी	–	–	–	–	600	–
4	उपरोक्त श्रेणियों में से किसी में भी न आने वाले व्यक्ति	3000	3000	2000	3000	3000	3000

(विष्णु कुमार गोयल)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

क्रमांक :– एफ9( )/अ.शा./रीपा/कमरा किराया/2009–10/2441–55 दिनांक :– 02/05/2022

1. निजी सचिव, महानिदेशक, एच.सी.एम.रीपा, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त महानिदेशक, एच.सी.एम.रीपा, जयपुर।
3. अतिरिक्त निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), एच.सी.एम.रीपा, जयपुर।
4. अतिरिक्त निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक (लेखा), एच.सी.एम.रीपा, जयपुर।
5. अतिरिक्त निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक (बीमा), एच.सी.एम.रीपा, जयपुर।
6. पंजीयक, प्रबन्ध अध्ययन केन्द्र, एच.सी.एम.रीपा, जयपुर।
7. समन्वयक, सी.जी.जी., एच.सी.एम.रीपा, जयपुर।
8. उप निदेशक (प्रशासन) एवं कार्यालयाध्यक्ष, एच.सी.एम.रीपा, जयपुर।
9. प्रभारी अधिकारी (परिसर), एच.सी.एम.रीपा, जयपुर।
10. प्रभारी अधिकारी (योजना), एच.सी.एम.रीपा, जयपुर।
11. प्रबन्धक, विश्रान्ति, एच.सी.एम.रीपा, जयपुर।
12. लेखा शाखा, एच.सी.एम.रीपा, जयपुर।
13. संस्थापन शाखा, एच.सी.एम.रीपा, जयपुर।
14. केयरटेकर, रीपा, एच.सी.एम.रीपा, जयपुर।
15. रक्षित पत्रावली।

प्रभारी अधिकारी (परिसर)

Phone: 0141-2706556, 2715222 Fax: 0141-2705420
Email: hcmripa@rajasthan.gov.in Website: www.hcmripa.rajasthan.gov.in